<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः– ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 09/2023 **दायर दिनांकः 25/07/2023**

उनवान

1. योगेश कुमार आयु 37 वर्ष पुत्र उपेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण निवासी गोरधनपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राज0 मो0न0 9829253142
2. हरीश कुमार आयु 33 वर्ष पुत्र उपेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण निवासी गोरधनपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राज0 मो0न0 9929452037

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राजस्थान

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ‘क’ आर0टी0एक्ट0</u>

उपस्थिति :–

प्रार्थी :– विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा।

अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनाकः 16/12/2024

अभिभाषक प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ‘क’ आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल बलदेवपुरा पटवार क्षेत्र दडा तहसील अटरू जिला बारां में आराजी खाता संख्या 108 का ख0न0 603/104 रकबा 0.14 हैक्ट0, ख0न0 606/104 रकबा 0.35 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.49 हैक्ट0 आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही हैं। प्रार्थना–पत्र के साथ नवीन नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। ग्राम एवं माल बलदेवपुरा पटवार क्षेत्र दडा तहसील अटरू का ख0न0 104/362 रकबा 1.68 हैक्ट0 किस्म बारानी तृतीय आराजी खाता राज सरकार दर्ज चली आ रही है तथा ख0न0 105 रकबा 1.16 हैक्ट0 किस्म गै0मु0 रास्ता अटरू से कवाई रोड़ खाता राज सरकार के दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। प्रार्थीगण के खेत ख0न0 606/104 रकबा 0.35 हैक्ट0 के पूरब दिशा में सरकारी भूमि ख0न0 104/3625 बारानी तृतीय एवं अटरू से कवाई रोड़ ख0न0 105 रकबा 1.16 हैक्ट0 स्थित हैं। प्रार्थीगण अपने खेत पर आने जाने, ट्रेक्टर ट्रोली एवं अन्य कृषि यंत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.01.02 17:36:01 IST
Reason: SelfAttested

ख0न0 104/362 में होकर लाता ले जाता है। लेकिन ख0न0 104/362 सरकारी भूमि होने की वजह से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने से मना करते हैं तथा प्रार्थीगण अपनी आराजी को रास्ते के अभाव रूपान्तरण नहीं करवा सकते हैं। इस वजह से प्रार्थीगण अपने खाते की आराजी ख0न0 606/104 रकबा .35 हैक्ट0 पर आने जाने के लिए अपने खेत की सामने की भूमि को गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा प्रार्थीगण को उक्त वर्णित रास्ते के उपयोग उपभोग करने में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। प्रार्थीगण रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा करने को तैयार है। विवादित आराजी एवं रास्ता वाके ग्राम एवं माल बलदेवपुरा पटवार क्षेत्र दड़ा तहसील अटरू जिला बारां राज0 में स्थित है। जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थना–पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को ग्राम बलदेवपुरा पटवार क्षेत्र दड़ा में उनके स्वामित्व की प्रार्थना पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी पर आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने का स्थाई रास्ता अप्रार्थी के ख0न0 104/362 में से प्रार्थीगण के ख0न0 606/104 के सामने की भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर दर्ज करने की कृपा करें। प्रार्थीगण रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार हैं। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में उक्त रास्ता दर्ज करने व नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी से मौका रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी/तहसीलदार अटरू द्वारा क्रमांक/राजस्व/2024/537 दिनांक 05.03.2024 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि उक्त आराजी में आवागमन हेतु रिकॉर्डेड वैकल्पिक रास्ता नही है। ख0न0 604/104 में पहुंचने के लिए रास्ते की न्यूनतम दूरी लम्बाई में 16 मीटर व चौडाई में 10 मीटर कुल क्षेत्रफल 160 वर्गमीटर है तथा रास्ते की नितान्त आवश्यकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.01.02 17:36:01 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को ग्राम एवं माल बलदेवपुरा पटवार क्षेत्र दडा तहसील अटरू जिला बारां में आराजी खाता संख्या 108 का ख0न0 603/104 रकबा 0.14 हैक्ट0, ख0न0 606/104 रकबा 0.35 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.49 हैक्ट0 आराजी पर आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने का स्थाई रास्ता अप्रार्थी के ख0न0 104/362 में से प्रार्थीगण के ख0न0 606/104 के सामने की भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर दर्ज करने की कृपा करें। प्रार्थीगण रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार हैं। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा पुनः कथन किया गया कि यह रास्ता प्रार्थी की अतिआवश्यकता है और पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पुनः तर्क किया कि किसी काश्तकार को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि (सिवायचक/चारागाह) में होकर नया रास्ता चाहिए या किसी विद्यमान रास्ते को चौडा करना चाहता है तो राज्य सरकार के परिपत्र – राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प03(52)राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.13 के आधार पर रास्ता दिये जाने के प्रावधान है। पेरोकार सरकार ने राजस्व विभाग के ग्रुप–6 के राजकीय भूमि में होकर रास्ता दिये जाने के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 14.06.2013 पर कोई आपत्ति पेश नहीं की।

अभिभाषक प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। उपरोक्त बहस के प्रकाश में पत्रावली एवं पेश परिपत्रों का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी हैः–

(i) **रास्ते की अत्यावश्यकता होना–** प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम एवं माल बलदेवपुरा पटवार क्षेत्र दडा तहसील अटरू जिला बारां में आराजी खाता संख्या 108 का ख0न0 603/104 रकबा 0.14 हैक्ट0, ख0न0 606/104 रकबा 0.35 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.49 हैक्ट0 आराजी पर आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण के खेत ख0न0 606/104 रकबा 0.35 हैक्ट0 के पूरब दिशा में सरकारी भूमि ख0न0 104/3625 बारानी तृतीय एवं अटरू से कवाई रोड़ ख0न0 105 रकबा 1.16 हैक्ट0 स्थित हैं। प्रार्थीगण अपने खेत पर आने जाने, ट्रेक्टर ट्रोली एवं अन्य कृषि यंत्र ख0न0 104/362 में होकर लाता ले

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.01.02 17:36:01 IST
Reason: Self Attested

जाता है। प्रार्थी के खेत तक रिकॉर्डेड रास्ता नहीं होने से प्रार्थी को अप्रार्थी को सरकार भूमि से व्यवस्थार्थ आना जाना व कृषि उपकरण ले जाना पडता है। अतः साबित होता है कि प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की अत्यावश्यकता है।

(ii) **वैकल्पिक रास्ता नहीं होना**– अभिभाषक प्रार्थी की बहस और तहसीलदार अटरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 05.03.2024 के अनुसार प्रार्थी के खेत ग्राम बलदेवपुरा खाता संख्या 108 का ख0न0 603/104 रकबा 0.14 हैक्ट0, ख0न0 606/104 रकबा 0.35 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.49 हैक्ट0 आराजी पर तक पहुंच हेतु कोई भी रिकोर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है।

(iii) **सबसे लघुतम रास्ता होना**:– प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा एवं तहसीलदार अटरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 05.03.2024 के अनुसार प्रार्थी के खेत ग्राम बलदेवपुरा खाता संख्या 108 का ख0न0 603/104 रकबा 0.14 हैक्ट0, ख0न0 606/104 रकबा 0.35 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.49 हैक्ट0 आराजी तक पहुंच का सबसे लघुतम रास्ता ख0नं0 104/362 से होकर जाता है जिसकी लम्बाई 16 मीटर अंकित की गई है। प्रार्थी द्वारा पेश खसरा नक्शा व तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 05.03.2024 के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित है कि नया प्रस्तावित रास्ता लघूत्तम रास्ता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अधीन नया रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन उक्त प्रावधान के केवल खातेदारी भूमि से ही नये रास्ते दिये जाने के संबंध में है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को अपनी जोत तक पहुंच हेतु राजकीय भूमि ख0नं0 76 में होकर अस्थाई रास्ता गुजरता है और प्रार्थी खातेदार द्वारा इसी सिवायचक भूमि में होकर अपनी जोत तक पहुंच हेतु नया रास्ता चाह गया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा पेश राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के ग्रुप 6 के परिपत्र क्रमांक [illegible]राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 का अवलोकन किया गया। उक्त परिपत्र में राजकीय [illegible] से सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के संबंध प्रावधान किये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.01.02 17:36:01 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण एवं राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 प्रार्थी के आधार पर प्रार्थी के खेत तक कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं होने एवं रास्ते की अत्यावश्यकता

होने के कारण प्रार्थी के ग्राम एवं माल बलदेवपुरा के खाता संख्या 108 का ख0न0 603/104 रकबा 0.14 हैक्ट0, ख0न0 606/104 रकबा 0.35 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.49 हैक्ट0 आराजी तक पहुंत हेतु सरकारी ख0नं0 104/362 किस्म बरानी तृतीय मौका रिपोर्ट व नक्शा खसरा के अनुसार 30 फीट यानी 9.14 मीटर चौडा एवं 15 मीटर लंबाई में नया रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ग्राम बलदेवपुरा के खाता संख्या 108 का ख0न0 603/104 रकबा 0.14 हैक्ट0, ख0न0 606/104 रकबा 0.35 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.49 हैक्ट0 के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल बलदेवपुरा के खाता संख्या 108 का ख0न0 603/104 रकबा 0.14 हैक्ट0, ख0न0 606/104 रकबा 0.35 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.49 हैक्ट0 आराजी तक पहुंत हेतु सरकारी ख0नं0 104/362 मौका रिपोर्ट व नक्शा खसरा के अनुसार 30 फीट यानी 9.14 मीटर चौडा एवं 16 मीटर लंबाई तक पहुंच हेतु तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम निमोदा के ख0नं0 104/362 किस्म बरानी तृतीय में से 16 मीटर लम्बा व 9.14 मीटर चौडा रास्ता यानी 147 वर्ग मीटर भूमि पर रास्ता कायम कर तहसीलदार अटरू प्रार्थीगण से **DLC** की दुगनी राशि राजकोष में जमा करवाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.01.02 17:36:01 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.01.02 17:36:01 IST
Reason: SelfAttested